दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 56 ❑ अंक-16 ❑ दिल्ली ❑ जून, 2018 (प्रथम) ❑ मूल्य : 2 रु.

लोकतंत्र : अर्थ एवं परिभाषायें

● डा. बी.आर. बुद्धप्रिय

लोकतन्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका निर्माण ग्रीक भाषा के दो शब्दों–डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर हुआ है। इनमें डेमोस का अर्थ जनता तथा क्रेशिया का अर्थ शासन अथवा शक्ति है। इस प्रकार 'डेमोक्रेसी' या लोकतन्त्र का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन अर्थात् जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था के संचालन से है।

लोकतन्त्र में सर्वोच्च सत्ता/शक्ति जनता के हाथों में समाहित होती है तथा जनता शासन में सक्रिय भागीदारी अदा करती है। इसमें जनता को सरकार का निर्माण करने के अधिकार के साथ–साथ शासन की जन–विरोधी नीतियों तथा कानूनों का संवैधानिक ढंग से विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, ''लोकतन्त्र प्रभुत्व शक्ति न होकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति को जनहित में प्रयोग करने की व्यवस्था का दूसरा नाम है।''

परिभाषाएं : लोकतन्त्र की विभिन्न परिभाषाएं निम्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जो निम्नलिखित हैं–

इब्राहम लिंकन के अनुसार– ''लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है।'' (यह परिभाषा ग्रीक विचारक क्लीआन द्वारा दी गई थी, लेकिन 1864 ई. में एक भाषण के दौरान इब्राहम लिंकन ने इसे लोकप्रिय बनाया)

लॉर्ड ब्राइस के अनुसार– ''लोकतन्त्र एक ऐसी शासन–प्रणाली का नाम है, जिसमें शासन–सत्ता किसी वर्ग–विशेष अथवा वर्गों में नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है।''

सीले के अनुसार– ''लोकतन्त्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है।''

हेरोडोट्स के अनुसार– ''प्रजातन्त्र सरकार का वह स्वरूप है, जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण समाज के हाथों में होती है।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतन्त्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता पर बल दिया जाता है तथा शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है।

लोकतन्त्र के गुण : लोकतन्त्र वर्तमान में उपलब्ध सभी शासन पद्धतियों में सबसे अधिक सफल एवं सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। इस व्यवस्था के गुणों को निम्न स्वरूपों में दर्शाया जा सकता है।

1. जनता का शासन लोकतन्त्र जनता की समस्याओं को सुलझाने, आवश्यकताओं अथवा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के आधार पर, जनता द्वारा अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन है। इसमें सर्वोच्च सत्ता या शक्ति जनता में निहित होती है।

2. जनमत पर आधारित लोकतन्त्र में सभी निर्णय जनता या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जनमत के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है।

3. सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र में बहुसंख्यक वर्गों के साथ–साथ अल्पसंख्यक वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सभी व्यक्ति तथा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सभी वर्गों के प्रतिनिधि अपनी वर्गों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख सकते हैं।

4. समानता पर आधारित पद्धति लोकतान्त्रिक सरकार समानता के सिद्धान्त पर आधारित होती है। इस शासन व्यवस्था में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधारों पर भेद नहीं किया जाता। लोकतन्त्र में विशेषाधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है, परन्तु बच्चों, बूढ़ों, अपाहिजों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए तर्कसंगत आधार पर कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

5. कमजोर तथा अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा लोकतन्त्र में समानता के आनुपातिक सिद्धान्त को भी अपनाया जाता है, जिसमें कमजोर, असक्षम तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए तर्कपूर्ण विशेषाधिकारों द्वारा इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है।

6. उत्तरदायी तथा स्थिर सरकार लोकतान्त्रिक सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान जनता के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। उनकी सरकार की स्थिरता भी जनता के विश्वास पर निर्भर करती है।

7. कुशलतम शासन इस पद्धति के अन्तर्गत सभी निर्णय विस्तृत वाद–विवाद, बहुमत, जनता की राय आदि आधारों पर लिए जाते हैं तथा चुनाव में भी योग्य उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

दलितों ! संकल्प करो कि देश की सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी

रामायण में एक प्रसंग है मंथरा दासी का। उसमें वह महारानी केकैयी को उसके अधिकारों की मांग की याद दिलाते हुए कहती है–''कोई हो राजा, हमें क्या हानि। चाकरी छोड़ ना बनना रानी।।'' यानी कोई भी राजा बने, हमें क्या हानि है क्योंकि हमें तो नये राजा के आने पर दासी ही बने रहना पड़ेगा। मैं महारानी तो नहीं बन सकती। यह वह जमाना था जब राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, पर अब जब से बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान देश को दिया है तब से देश का राजा (प्रधानमंत्री) मतदान पेटी से बनकर निकलता है। हर पांच साल बाद देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में मतदान में जिसकी पार्टी को बहुमत मिलता है बस उसी पार्टी का प्रधानमंत्री (राजा) होता है जो पांच साल अपने मन्त्रीमण्डल के सहयोग से देश पर शासन करता है। 1952 से 2014 तक मतदान द्वारा चुनाव होते आये हैं और अलग–अलग पार्टियों को बहुमत मिलने पर उनका प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देश का शासन सम्हालती है। इससे स्पष्ट है कि अब रानी के पेट से नहीं, मेहतरानी के पेट से पैदा हुआ दास भी देश का शासक बन सकता है।

2014 में लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, अत्याचार, अन्याय, ऊंच–नीच, भेदभाव, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों पर लड़ा गया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी को प्रस्तावित किया था और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को आगे रखकर यह चुनाव लड़ा था। नरेन्द्र मोदी जी ने भाजपा की ओर से धुआंधार प्रचार के दौरान 'सबका साथ–सबका विकास' का नारा देते हुए वायदा किया था कि भाजपा के जीतने पर उन्हें प्रधानमंत्री बन जाने पर वे विदेशों से काला धन वापिस देश में लायेंगे और यहां के प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रु. जमा करायेंगे। हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करायेंगे। देश से भ्रष्टाचारियों, गुंडागर्दियों, बलात्कारियों, अत्याचारियों पर तुरन्त लगाम लगाकर उन्हें जेलों में बन्द करेंगे। दलित, शोषित, अल्पसंख्यकों को संविधान प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, न्याय, बन्धुता का अधिकार दिलायेंगे। देश में गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, खत्म कर देंगे। चुनाव में अपने को सभी का असली नुमायन्दा दिखाने के लिए नरेन्द्र मोदी ने अपने को बहुत गरीब पिछड़े परिवार में पैदा हुआ और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला 'चायवाला' का खुलकर प्रचार किया और हर निर्वाचन क्षेत्र में 'चाय पर चर्चा' की गोष्ठियां कराई और खूब सहानुभूति बटोरी। उन्होंने हर मन्दिर, धर्मशाला, गुरद्वारा, नदीघाट पर जाकर मत्था टेका और चुनाव में जीतने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मां, बहन, बेटियों से भी वायदा किया कि वह प्रधानमंत्री बनने पर उन पर होने वाले अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, दमन, अन्याय, बर्बरता रोककर उन्हें समाज में भरपूर सम्मान, आदर, प्यार, समता दिलायेंगे। उन्होंने छात्र–छात्राओं को सुलभ, सुगम शिक्षा दिलाने, किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और बैंक कर्ज माफ करने का वायदा किया। देश के अल्पसंख्यक–मुसलमान, ईसाई, बौद्ध जैन, सिख आदि को भयमुक्त समाज देंगे और उनके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का भी वायदा किया था।

धुआंधार चुनाव प्रचार में नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी 'चायवाला' की गरीबी का बखान कर और जन साधारण लोगों से वायदा का अम्बार लगाकर खूब वाहवाही लूटी (शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

पृष्ठ 1 का शेष.....लोकतंत्र : अर्थ एवं परिभाषायें

8. स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की सुरक्षा लोकतन्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर विशेष बल दिया जाता है। नागरिकों को अपनी पसन्द की सरकार चुनने की स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आलोचना की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अर्जित करने की स्वतन्त्रता आदि का अधिकार प्रदान किया जाता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये सुविधाएं अत्यावश्यक है।

9. जनता का राजनीतिक शिक्षण चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, टी.वी., रेडियो तथा समाचार पत्रों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इन्हीं माध्यमों के द्वारा सरकार की नीतियों एवं कार्यों का मूल्यांकन करके राजनीतिक शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। जनता की शासन में जितनी अधिक भागीदारी होगी, उसका राजनीतिक शिक्षण का स्तर उतना ही ऊंचा होगा।

10. नागरिकों का नैतिक उत्थान देश के नागरिकों की जितनी अधिक भागीदारी तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी उनका मनोबल, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता तथा आत्मविश्वास उतना अधिक बढ़ेगा, जिससे उनका नैतिक विकास होगा।

11. देशभक्ति की भावना का विकास इस शासन पद्धति में जनता

आवश्यक शर्तें : लोकतन्त्र की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है–

1. स्पष्ट एवं लिखित संविधान लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक सुस्पष्ट संविधान आवश्यक है, जिसमें सरकार के संगठन, अधिकार तथा कर्तव्यों एवं नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्यों एवं शासन सम्बन्धी अन्य प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लेख हो।

2. लोकतान्त्रिक मूल्यों में आस्था देश के नागरिक लोकतन्त्र में आस्था रखते हों ताकि वे न केवल राजनीतिक प्रणाली के रूप में बल्कि जीवन पद्धति के रूप में भी लोकतान्त्रिक मूल्यों को अपनाने के लिए सहमत हों।

3. नागरिकों की सक्रिय भागीदारी लोकतन्त्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक शर्त, नागरिकों की शासन कार्यों तथा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी तथा सरकार के साथ पूर्ण सहयोग है।

4. सामाजिक तथा आर्थिक समानता राष्ट्र में राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है कि वहीं सामाजिक तथा आर्थिक समानता विद्यमान हो, राष्ट्र में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव रहित समाज होना आवश्यक है।

5. जागरूक एवं शिक्षित भी लोक महत्व के विषय पर नेता की लोकहित में तर्कपूर्ण राय होती है। मीडिया, राजनीतिक दल, संचार के साधन आदि जनमत के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया/प्रेस को लोकतंत्र के चौथे आधार स्तम्भ की संज्ञा दी जाती है।

9. उपयुक्त दल व्यवस्था राजनीतिक दलों की भूमिका न केवल सरकार के गठन में अहम् होती है वरन् विपक्षी दल सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने, उन पर अंकुश लगाने, जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करने आदि में लोकतन्त्र के प्रहरी की भूमिका अदा करता है। राजनीतिक दलों के निर्माण का आधार राष्ट्र उत्थान तथा जन–कल्याण होना चाहिए, ना कि धर्म, जाति, स्वार्थ आदि दलों की संख्या का निर्धारण भी राष्ट्र की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। लोकतान्त्रिक सफलता के लिए द्वि–दलीय प्रणाली सबसे उत्तम मानी जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में है।

10. नागरिक स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था लोकतन्त्र का प्रमुख आधार व्यक्ति की स्वतन्त्रता है। इसलिए नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। शासन व्यवस्था द्वारा नागरिकों को बोलने, भाषण देने, सभा करने आदि

लोकतन्त्र में शासन व्यवस्था जनता के नेताओं द्वारा संचालित की जाती है। देश के विकास के लिए सभी वर्गों के हितों में समन्वय तथा सभी वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए इन नेताओं में उच्च चारित्रिक गुण, ईमानदारी, उत्तरदायित्व की भावना, बुद्धिमत्ता आदि का होना आवश्यक है।

15. वयस्क मताधिकार एक निश्चित आयु पूर्ण होने के पश्चात् सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करना चाहिए। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

16. सतत राजनीतिक जागरूकता नागरिकों को योग्य एवं चरित्रवान प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार में भेजना चाहिए, जो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देशहित के लिए कार्य करें। नागरिकों को देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर सकें।

17. मूलभूत बातों पर सहमति राजनीतिक दलों की लोकतन्त्र में आस्था होने के साथ–साथ उनके आर्थिक और सामाजिक कार्यों में रचनात्मक तत्वों की प्रमुखता होनी

मौलिक अधिकार

मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 30 तथा 32 में किया गया है। मई 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया, जिसे अनुच्छेद–21(अ) में शामिल किया गया है।

वर्तमान में नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) : समानता का अधिकार का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक शामिल किया गया है। इसके तहत निम्न समानताएं प्रदान की गई हैं।

कानूनी क्षेत्र में समानता (अनुच्छेद 14) देश के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। देश के कानून के समक्ष देश के सभी नागरिक समान होंगे व उन्हें कानूनी संरक्षण पाने का समान अधिकार होगा।

का सेवक न होकर स्वामी की भूमिका में रहती है। इसी मनोभावना के प्रभाव से जनता में अपनापन, देश–प्रेम, एकता व अखण्डता की भावना का विकास होता है तथा संकटकालीन स्थिति में सभी एकजुटता के लिए तैयार होते हैं।

12. विद्रोह एवं क्रांति का भय नहीं लोकतंत्र में सरकारों का चुनाव लोग निर्वाचन द्वारा करते हैं। जनता के पास अयोग्य तथा अत्याचारी सरकार को हटाने का संवैधानिक अथवा शान्तिपूर्ण तरीका (चुनाव में हराकर) होता है, जिससे क्रान्ति या विद्रोह की सम्भावना नहीं होती।

13. विवेकाधारित शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था, तानाशाही शासन जिसमें निरंकुशता, हिंसा, दमन, बल–प्रयोग आदि की प्रधानता रहती है, के विपरीत होती है। लोकतन्त्र का संचालन विवेक, सहमति, बहुमत, चुनाव, मताधिकार, संवैधानिकता तथा स्वतन्त्रता आदि के आधार पर होता है।

14. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पर बल स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय लोकतन्त्र के आधार स्तम्भ होते हैं। इसमें विश्वबन्धुता की भावना विद्यमान रहती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बल मिलता है।

15. देश की प्रतिभा का भरपूर उपयोग लोकतन्त्रीय शासन में नागरिकों को अपने देश की प्रतिभा के बल पर विभिन्न पदों पर नियुक्त होने का अवसर प्राप्त होता है।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिक लोकतन्त्र में सरकार के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, सरकार पर उचित अंकुश लगाए रखने तथा देश के विकास में सहयोग करने के लिए नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा देश विरोधी तथा लोकहित विरोधी प्रत्येक गतिविधि के प्रति जागरूक होना चाहिए।

6. स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था स्वतन्त्रता एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतन्त्र का आधार होती है। इसके माध्यम से ही लोकतन्त्र का स्वरूप ''जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा'' बनता है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता अपने उपयुक्त प्रतिनिधियों का चयन तथा उन पर नियन्त्रण कर सकती है।

7. जन–सम्पर्क के स्वतन्त्र माध्यम सर्वसाधारण तक सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों का ज्ञान पहुंचाने तथा सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराने के लिए जन–सम्पर्क के माध्यमों, जैसे– रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, समाचार पत्र, साहित्य आदि का उपलब्ध होना आवश्यक है। इन माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार न होकर कुछ नियमों व मर्यादा में रहकर सरकार की आलोचना की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

8. जनमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जनमत सरकार की सफलता एवं असफलता का प्रमुख निर्धारक है। जनमत किसी की स्वतन्त्रता प्रदान करनी आवश्यक है, जिससे नागरिक लोकतन्त्र के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

11. स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, निर्बल वर्गों की सबल वर्गों से सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा तथा सरकार की तानाशाही से सुरक्षा के लिए लोकतन्त्र में एक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अति आवश्यक शर्त है।

12. नागरिकों का उच्च चरित्र किसी भी शासन व्यवस्था अथवा देश का विकास एवं सुदृढ़ीकरण उसके नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करता है। लोकतन्त्र के अन्तर्गत समाज में सभी व्यक्तियों की गरिमा एवं सम्मान की सुरक्षा, धार्मिक, जातीय एवं अन्य विविध भावनाओं की रक्षा हेतु नागरिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिए, साथ ही नागरिकों को जाति–धर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर मताधिकार का ईमानदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए।

13. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग का योगदान होता है, हालांकि सरकार का निर्माण तथा विभिन्न नीति, निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। अतः बहुमत की तानाशाही की स्थापना तथा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा जनता का लोकतन्त्र में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

14. कुशल एवं ईमानदार नेतृत्व चाहिए, देशहित के लिए राजनीतिक दलों में मूलभूत बातों पर परस्पर सहमति होनी चाहिए, जिससे देश तीव्रता से प्रगति कर सके।

इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों तथा सरकार को अपने व्यक्तिगत हितों तथा महत्वाकांक्षाओं को त्यागकर राष्ट्र हित के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध हो सके।

मौलिक अधिकार : प्रजातन्त्र में नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, मूल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया गया है अर्थात् मूल अधिकार के हनन होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।

भारतीय संविधान में शामिल सामाजिक समानता (अनुच्छेद 15) राज्य, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, स्तर आदि के आधार पर पक्षपात नहीं कर सकता, सभी नागरिक समान रूप से सार्वजनिक स्थानों का बिना किसी भेदभाव के उपभोग करने के अधिकारी हैं। हालांकि राज्य बच्चों, महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद–16 में राज्य के अधीन किसी पद (नौकरी) पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

जाति, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। योग्यता को ही नियुक्ति या पदोन्नति का आधार माना जाएगा, हालांकि सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। धार्मिक संस्थाओं के सन्दर्भ में धर्म के आधार पर नियुक्तियां हो सकती हैं।

अस्पृश्यता का अन्त (अनुच्छेद 17) पिछड़े वर्गों के उत्थान व उनमें स्वाभिमान जगाने के लिए संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है।

संपादकीय का शेष.....दलितों ! संकल्प करो कि देश की सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी

और अपने 'गुजरात माडल' का खूबसूरत नमूना प्रस्तुत कर सामान्य जनता को जो सब्जबाग दिखाया, उससे देश में उनके पक्ष में ऐसा वातावरण बना कि चुनाव में उनकी पार्टी दो तिहाई बहुमत से सीटें जीत कर विजयी हुई और भारी बहुमत लेकर नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस 26 मई, 2018 को उनके प्रधानमंत्री बने चार साल पूरे हो चुके हैं। उनके इन 4 साल के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने कितने वायदे पूरे किये और कितनी लोगों की आशायें, आकांक्षायें उन्होंने साकार कीं, इस अवसर पर विचार करना जरूरी है ताकि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए मन बनाया जा सके कि उस चुनाव में अपना मत किसे देना चाहिए।

सबसे पहले देखें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चुनाव में जो वायदे किये थे उनमें से गत 4 सालों में कितने वायदे पूरे किये तो जवाब मिलेगा कि उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, ना तो विदेशों से काला धन वापिस आया। ना ही 15 लाख रुपये किसी भी व्यक्ति के खाते में जमा हुये। ना ही हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। ना ही दलित, शोषित व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुके, उल्टे गोहत्या के नाम पर गोभक्तों ने दलितों व मुसलमानों के साथ न केवल मारपीट व बेइज्जती की, बल्कि गोमांस रखने के सन्देह में उनकी हत्या तक की। गुजरात के ऊना में दलित युवकों की गोहत्या के सन्देह में मारा व पीटा गया और अभी उन्हीं गुजरात के राजकोट में एक दलित युवक को सवर्णों ने पीट–पीटकर मार दिया। इसी तरह की घटनायें दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्या करने की हर रोज घट रही हैं।

ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ और ना ही गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबे आत्महत्या कर रहे हैं। दलित, मुस्लिम, ईसाई, भय के वातावरण में जी रहे हैं। सनातनी हिन्दू धर्म के साधु सन्त बाबाओं का भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अन्धविश्वास, ढोंग, लूटपाट में बढ़ोतरी हुई है और रामनामी व गोभक्तों का दुस्साहस पहले से कई गुणा बढ़ा है और वे दलित व अल्पसंख्यकों पर खुलकर अत्याचार कर रहे हैं। लगता है कि उनके प्रधानमंत्री काल में 'हिन्दू एजेंडा' आगे बढ़ा है और सुदृढ़ हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चुनावों में जो नारा दिया था–'सबका साथ सबका विकास' वह भी कहीं पूरा हुआ नजर नहीं आता। उन्होंने चुनाव में जनता का सहयोग तो भरपूर लिया, पर उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विकास के नाम पर अपने भाजपा के नेताओं व आर.एस.एस. के पदाधिकारियों पर ही ध्यान केन्द्रित किया और उन्हें ही अपनी सरकार में उच्च पद पर स्थापित किया, उन्हें राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य व आयोगों में अध्यक्ष और शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों में कुलपति व अध्यक्ष मनोनीत किया। जो भाजपा 'सबका विकास' का नारा देकर सत्ता में आई उसने इन चार सालों में न कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया, ना कोई दलित को राज्यपाल बनाया, ना किसी दलित को राज्यसभा में भेजा, ना किसी दलित को न्यायाधीश बनाया, फिर मोदी जी की सरकार को दलित–शोषितों की हितकारी सरकार कैसे कहा जा सकता है?

उसने देश में 'स्वच्छ भारत' का नारा तो दिया, पर 'छुआछूत मुक्त भारत' का नारा नहीं लगाया क्योंकि वह हिन्दू धर्म के जात–पांत, छुआछूत व वर्ण व्यवस्था के ऊंच–नीच के पायदानों को बरकरार बना रहने देना चाहती है और मन्दिरों, नदी घाटों व श्मशानों से उन्हें 'अस्पृश्य' के नाम के बहाने दूर रखना चाहती है। संसद में 100 से ज्यादा दलित सांसद हैं पर उनमें से किसी को भी दलित समस्याओं व दलित उत्पीड़न पर खुलकर बोलने का अधिकार नहीं है, वे सभी पार्टी के अनुशासन के नाम पर भय के वातावरण में जीने को मजबूर हैं क्योंकि प्रत्येक दलित सांसद के कार्यों की निगरानी के लिए भाजपा ने अपने आर.एस.एस. के सेवकों को नियुक्त किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वे दलित दमन व दलित अत्याचारों पर बोलने की इच्छा रखते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।

मोदी जी की सरकार से पहले की यूपीए की सरकार के समय दलित सांसदों ने 'एस.सी./एस.टी. पार्लियामेंट्री फोरम' नामक मंच बनाया हुआ था जिसमें सभी पार्टियों के दलित सांसद सदस्य थे जो समय–समय पर इस मंच की सभा बुलाकर दलितों की समस्याओं पर खुलकर विचार करते थे और उनके निराकरण के लिए प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री को भेजते थ और उनके मुद्दों को संसद में उठाते थे। दलित संसदीय मंच की उस परम्परा को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इससे दलितों की समस्या उठाने का मंच भी खत्म हो गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने काला लोगों को इस महंगाई की मार ने बेहाल कर दिया है। भोजन के साथ–साथ स्कूली शिक्षा, परिवहन खर्च सब बढ़ गया है। जिस लुभावने नारे–'सबका साथ–सबका विकास' के अन्तर्गत जनता ने मोदी जी को चुनाव में भरपूर साथ देकर बहुमत से जिताया था, वही जनता आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, अन्याय, ठगी व दुराचार से त्राहि–त्राहि कर रही है और इसके छुटकारे के लिए अपने–अपने भगवानों से प्रार्थना कर रही है।

दिल्ली के आर्कबिशप ने तो अपने चर्चों के पादरियों को पत्र लिखकर अपने–अपने चर्चघरों में मोदी सरकार के शासन में फैले भयभीत वातावरण और अशान्ति को दूर करने के लिए प्रार्थना करने और व्रत–उपवास रखने को कहा है। देश के मुसलमानों और दलितों के अन्दर मोदी सरकार की छत्रछाया में बढ़े हिन्दू संगठनों के अत्याचारों से पहले से ही भय–डर भरा हुआ है। दलितों को मिले संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म करने व एस.सी./एस.टी. एक्ट की शक्ति को खत्म करने से भी दलितों में रोष बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में दलितों को भारतीय संविधान, उससे मिले आरक्षण के प्रावधानों की सुरक्षा व

समता–युद्ध

मेरे बेटे...
जीना–हर हाल में, किन्तु
आत्म–सम्मान से
क्योंकि इस देश की
जहरीली–कुबड़ी
चतुर–चालाक, शोषक–श्रमचूस
व्यवस्था फैली है
केलिफोर्निया के नरभक्षी–प्लांट सी
यत्र–तत्र–सर्वत्र जिसकी मजबूत
लम्बी–लाती आती है झूलकर
तले तक और खींच ले जाती है–
आदमी को जो छोड़ती है
खून चूसकर मरणोपरांत
ऐसी ही व्यवस्था बसी है
आदमी के पोर–पोर
आचरण और नस–नस में
जो बना देगी निश्चित तुम्हें
तुम्हारे बाप सा कमजोर–पंगु
और दब्बू।
क्योंकि यहां बोलबाला है–
शासकों का, दबंगों का
उनकी सोच–खोज–नजर और नियत
तुम्हारे श्रम और दक्षता पर नहीं
जाति पर है।
संविधान आस्था पर है
जो थोप देना चाहते हैं
पुनः उन्मादी आस्था और
मिटा देना चाहते हैं
संविधान–इस देश से
साथ ही तुम और तुम्हारा
बुजूद नामोनिशान तक।
इसलिए वो ईजाद करते हैं रातों–दिन
साम–दाम–दण्ड भेद के तहत
शोषण के नायाब तरीके
जिससे बनाया जा सके
गुलाम और मारा जा सके
घेर कर कमेरा
इसलिए रहना है–सदैव तुम्हें भी
सतर्क–सचेत–चौकन्ना
और आंखें खोलकर
क्योंकि मुझे मालूम है–समय
इतिहास, पुराण और प्रमाण का
अपने पूर्वज और
उनके बलिदान का जिसे निकाला है
खगाल कर मैंने इतिहास के पन्नों से
जिसमें पौराणिक और अप्रमाणिक
मिथक है–
राजा बलि का त्याग
हरिशचन्द्र की सत्यता
दधीचि की अस्थियां
स्वर्णअंखा का बेमिसाल अद्भुत सौंदर्य
और उस पर वीभत्स हमला
शम्बूक वध
कुटिल नीति के तहत
एकलव्य का अंगूठा
कर्ण के कवच–कुंडल
सुपंच का गौरव और
उसके बाद शुरू होता है
पारित और प्रमाणित–इतिहास
कपिल मुनि का सांख्य दर्शन
गौतम बुद्ध की धम्म–देशना
जिसका सार और सारत्व है
अत्तो दीपो भव
सम्राट–अशोक की धम्म–विजय
और लोना चमारिन का भेषज्य
(बहिष्कृत समाज की लड़की)
धोवाई लोना चमारिन की छू
जो अभी तक मौजूद है–मंत्रों में
संत रैदास की संवेदनशीलता
कबीर का सामाजिक आंदोलन
गुरु नारायण का समतामूलक समाज
रामास्वामी नायकर का
तुलनात्मक विवेचन
ज्योतिबाराव फुले की सामाजिक चेतना
छात्रपति शाहूजी महाराज का न्याय
संत गाडगे की समानता
स्वामी अछूतानंद का सामाजिक उद्धार
वीरसा मुण्डा का संघर्ष
डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जाति–विहीन
समाज की संरचना
बाबू जगजीवन राम की
कर्तव्य परायाणता और
कांशीराम का सामाजिक परिवर्तन
का सफर।
इसके अलावा तुम्हें सीखना होगा पाठ
लैटिनी अमेरिका के अब्राहन लिंकन
और मार्टिन लूथर किंग से
फ्रांस के नैपोलियन बोनापार्ट से
जर्मनी के हिटलर से
टर्की के कमाल पासा से
इटली के माउत्से तुड्ग से
दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला से
सोवियत रूप के बलादिमिरइल्यीच
लेनिन से और इंग्लैंड के
विलियम कैरी से
जो लाये हमको स्वाभिमान के साथ
वहां से यहां तक मेरे बेटे....
इस सम्पूर्ण सामाजिक युद्ध का
सार और सारत्व है–असमानता
जो आदमी में नहीं
जानवरों में होती है।
शरीर में नहीं,
मस्तिष्क में होती है
कर्म में नहीं
नियम में होती है।

– डॉ. सुरेश उजाला

धन के खात्मे के लिए दो साल पहले अचानक 'नोट बंदी' कर दी और 500 व 1000 रु. के नोटों का चलन बन्द कर दिया। इससे जहां व्यापारियों व कारोबारियों का तो कारोबार, कामधन्धे, व्यवसाय तो बन्द हुए ही, पर उनके यहां जो दलित, गरीब, मजदूर काम करते थे वे भी बेरोजगार हो गये और अपने बच्चों को दो समय का खाना मुहैया कराना उनके लिए मुश्किल हो गया। इसके बाद टैक्सों की एकरूपता करने के नाम पर भाजपा सरकार ने 'जी.एस.टी.' लागू कर दिया। जी.एस.टी. के झमेले में छोटे दुकानदारों की दुकानें बन्द हो गईं और उनका रहा सहा कामधन्धा भी चौपट हो गया। वहां जो गरीब मजदूर काम करते थे, वे सभी बेरोजगार हो गये। उनके सामने भी रोजी–रोटी की समस्या खड़ी हो गई।

सरकार ने सभी बड़ी तेल कम्पनियों को इस 'जी.एस.टी.' से छूट दे दी। इसका परिणाम यह निकला कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन तेल–सबके रेट आसमान छू गये। इससे सभी सामान्य लोगों की जेब पर डाका पड़ा और उसका घरेलू बजट बिगड़ गया, वहीं माल ढुलाई की दर बढ़ने से सभी खाद्य पदार्थों व साग–सब्जी व फलों के दाम भी एकदम ऊंचे हो गये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महंगाई खत्म करने की चुनाव में जो आश्वासन दिया था, यह सब उसके उलट हुआ। बचाव के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनावों में अपनी भागीदारी के लिए अभी से रणनीति बनानी होगी, वरना भविष्य में इस 'बद' से और 'बदतर' बने हालतों के लिए उसे तैयार रहना होगा।

आज दलितों के सामने बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वरा निर्मित भारतीय संविधान तथा उस आधार पर स्थापित संस्थाओं को खत्म होने से बचाने की चुनौती है। इसके लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर के दिखाया लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब देश का शासन, प्रशासन और सत्ता दलित–शोषित–बहुजनों के हाथों में होगी। इसलिए आज दलितों शपथ लेनी होगी कि अगले चुनावों के बाद देश के शासन की बागडोर दलितों के हाथों में होगी और अगली सरकार के शासक दलित ही होंगे।

– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9

हिमायती
4 / जून (प्रथम), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 जून, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 30 मई, 2018

दलितों के लिए विद्या का संकट

● प्रो. श्यौराज सिंह बेचैन

गत वर्ष सात नवंबर को सरकार की ओर से 'विद्यार्थी दिवस' मनाया गया। अवसर था बालक 'भीवा' यानी भीमराव अम्बेडकर का अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश के पहले दिन का उत्सव। आज से एक सौ सतरह साल पहले 7 नवंबर, 1900 ई. को उन्हें स्कूल प्रवेश दिलाा गया था। इस दिवस को 'विद्यार्थी दिवस' के रूप में मनाया जाना एक सार्थक उपक्रम का शुभारम्भ करना प्रेरणाप्रद घटना है। यह हमें सोचने का मौका देती है कि देश की ज्ञान व्यवस्था को और समृद्ध व उन्नत करना है तो विद्या और विद्यार्थी की शक्तियों और महत्ता को समझना आवश्यक है। विद्या से बड़ा और चमत्कार किसी भी बालक के जीवन में दूसरा नहीं है। विद्या वह शक्ति और वह सपना है जो किसी भी देश को सशक्त और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है।

ब्रिटेन सहित ऐसे कई देश हैं जिनके पास भारत की तुलना में प्राकृतिक सम्पदाएं बहुत कम हैं, किन्तु विद्या बल संपन्न होने के कारण वे उन्नति की अगली पंक्ति में खड़े हैं। बल्कि अनेक देशों को अपना उपनिवेश बना चुके हैं। बालक भीमराव ने विद्या बल को बहुत ही जल्दी पहचान लिया था। उनका विद्यार्थी जीवन कष्टों और संघर्षों सकारात्मक बनी। उन्होंने अपने मराठी पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' में लिखा–''अंग्रेजी विद्या शेरनी का दूध है।'' हमारे देश के स्वराजवादी जिस नेता ने जिस अनुपात में इस शेरनी का दूध पिया, वह उसी अनुपात में अंग्रेजों के विरुद्ध अधिक दहाड़ा।

अंग्रेजी का दबदबा आज भी कायम है, परन्तु आज अंग्रेजी स्कूल व्यवसायिकता के तहत अधिक चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो आम अवाम के लिए नहीं हैं जिन्हें 'पब्लिक' के स्कूल कहना ही गलत है। अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से गहरा विद्या भेदभाव बढ़ रहा है जो संविधान में दिए गए कल्याणकारी शिक्षा के मूलभूत अधिकारों की उपेक्षा करते हैं।

इस विधि–विद्यार्थी भीवा की स्मृति में विगत वर्ष से दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' को उत्सव के रूप में मनाना आरम्भ किया है और कहा जा सकता है कि संविधान भी उस विधि विद्यार्थी की बहुत बड़ी देन है। पर क्या उनकी विद्या विषयक चेतावनियों की ओर सरकारों का ध्यान है? संविधान सौंपते हुए उन्होंने कहा था–हम राजनैतिक कर कठिन हालातों में विद्या प्रसार का कार्य किया था।

आज के समय में जब अंकों और श्रेणियों को विद्यार्थी के ज्ञान का पैमाना बना लिया गया है, प्राइवेट संस्थाएं सौ में सौ फीसद तक अंक दे रही हैं। क्या कोई ऐसा सर्वे हुआ है कि ऐसे विद्यार्थियों ने देश समाज के हित के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किया है? यदि विद्यार्थी अम्बेडकर की बी.ए. तक अंकों और श्रेणियों की स्थिति देखी जाएगी तो वह आज के अंकों की मारा–मारी के युग में निराश ही करेगी। क्योंकि उन्होंने लिखा था कि बी.ए. में कुछ ही अंकों से मेरी द्वितीय श्रेणी मिलने से रह गई। पर क्या कोई ज्ञान के मामले में उन पर उंगली उठा सकता है? जिन सामाजिक हालातों में वे पढ़े थे क्या कोई सामान्य विद्यार्थी उस स्थिति की कल्पना कर सकता है?

उनका विद्या विकास करोड़ों लोगों की मुक्ति के लिए था। उनकी विद्यार्जन की पिपासा अदम्य थी और निरंतरता में ही उसका विकास हुआ था। उन्होंने करके किया जाना चाहिए। परन्तु यह दुखद है कि गरीब और कमजोर वर्गों के लिए विद्या महंगी और दुर्लभ की जा रही है। यह अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर करने वाली स्थिति है। वे कहते थे कि समय आ गया है ''कमजोर वर्गों के लिए प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालयों तक सस्ती और गुणकारी शिक्षा दी जाए, ताकि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनें और देश के लिए कार्य करें।''

आज के अंकवाद और ज्ञान के बीच के भेद को आसानी से समझाने का थोड़ा काम आमिर खान की फिल्म 'थ्री इडिएट' ने किया और सोनम वागचुक परीक्षाओं में फेल विद्यार्थियों को लेकर जो काम कर रहे हैं वह असली विद्या की पहचान कराता है।

अब विद्यार्थी अम्बेडकर की स्मृतियों का प्रश्न है तो यह अच्छी बात है कि भारत सरकार उनसे जुड़े स्मारकों को आबाद कर रही है। उनका लंदन प्रवास खरीदने से लेकर महू जन्म स्थली में बने शोध संस्थान और अलीपुर रोड, दिल्ली के निवास को आबाद करना शामिल है। हो सकता है कि उनकी कुछ मूर्तियां भी सरकारी स्तर रहा है वह कम हो। गरीबों के बच्चों को पढ़ा–लिखा कर सामर्थ बनाया जाए, जिससे कि भारत के वास्तविक निर्माण की आधारशिला को फौलादी बनाया जाए। भारतीय विद्यार्थी के नाम एक दिवस मनाने का यही संकल्प सार्थक पहल होगी।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा था

–गुलाब चन्द बारासा

*** मानवता के इतिहास** में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। यह एकत्व की भावना हैं, किसी वर्ग–विशेष के सम्बन्धित होना नहीं।

*** राष्ट्रवाद** तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक–भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।

*** धर्म** एक प्रभाव या शक्ति है जो जीवन में घुल–मिलकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। व्यक्ति की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं, पसन्द तथा नापसन्द को धर्म निश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है।

*** लोग** मुझे अभी समझ नहीं पाये हैं और मुझे उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। एक समय आयेगा जब इस देश के लोग मुझे ठीक प्रकार से समझ पायेंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा समय आयेगा, तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा।

*** शिक्षा** एक ऐसी वस्तु है, जो

से भरा है। उन्होंने अस्पृश्यता की भयंकरता के दिनों में विद्यार्जन किया और कदाचित इसी कारण उनका संपूर्ण अध्ययन सौद्देश्य रहा।

डॉ. अम्बेडकर के विरोधियों को भी उनका विद्यार्थी पक्ष बहुत प्रभावित करता है। उनका प्रतिभासम्पन्न व्यक्तित्व कई आयामों के रूप में पुष्पित और पल्लवित हुआ था। संविधान शिल्पी, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्, पत्रकार, समाजशास्त्री और कानूनविद् के रूप में उन प्रतिभावान विद्यार्थी की विद्या का लोहा कौन नहीं मानता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जब से होश संभाला तब से अपनी अंतिम सांसों तक जीवन की तमाम आपा–धापी के बावजूद अपने भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं दिया और अध्ययन को रचनात्मक तथा ज्ञानोन्मुख बनाए रखा। विद्यालयों के सीमित कोर्स उनकी प्रबल अध्ययन पिपासा को कभी तृप्त नहीं कर पाए। इसलिए वे धर्म, दर्शन, अर्थ, राजनीति और समाजशास्त्र इत्यादि विषयों का स्वतंत्र अध्ययन अधिक किया करते थे। अंग्रेजी उन दिनों वैश्विक ज्ञान का प्रमुख माध्यम थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता के आग्रह और सहायता से विशेष रूप से अंग्रेजी पर ध्यान दिया। यही कारण था कि अंग्रेजी के बारे में उनकी धारणा बहुत ही रूप से एक व्यक्ति एक वोट की राजनैतिक समानता स्थापित करने जा रहे हैं। परन्तु सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का दायित्व उन लोगों पर रहेगा जो संविधान पर अमल करेंगे। संविधान कितना भी अच्छा हो यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। विधि विद्या के क्षेत्र में भी उनकी न विद्यार्थी की भविष्य के प्रति चिंताएं और आशंकाएं निराधार नहीं थीं।

विद्यार्थी अम्बेडकर ने वैश्विक स्तर पर देश का मस्तक ऊंचा किया था। यही कारण है कोलांबिया विश्वविद्यालय ने अपने विदेशी छात्र डॉ. अम्बेडकर के विश्वविद्यालय में प्रवेश सौ साल पूरे होने पर गत वर्ष उन्हें 'सिंबल ऑफ नॉलेज' के खिताब से नवाजा था और कोलांबिया युनिवर्सिटी के द्वार पर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी।

यह अम्बेडकर की विद्या–प्रियता ही थी कि उन्होंने अपने जीवन में किताबों से सर्वाधिक प्यार किया। उन्होंने अपनी स्वयं की बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी बनाई। वे उस हर व्यक्ति का सम्मान करते थे जो विद्या को महत्व देता था। ज्योतिबा फुले को भी उन्होंने इसलिए अपना आदर्श माना क्योंकि फुले दम्पत्ति ने 'सत्यशोधक समाज' संस्था का निर्माण अपने अनुयायियों से कहा था कि 'सबसे पहले शिक्षित बनो'। इसका मतलब यह था कि ज्ञान की शक्ति अर्जित करो। 'संगठित बनो' और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। विद्या उनके लिए महत्वपूर्ण थी यह बात उनके एक साक्षात्कार से भी पता चलती है जो उन्होंने हुदलीकर नामक अध्यापक को प्रहलाद केशव आत्रेय की पत्रिका 'नवयुग' 13 अप्रैल 1947 के 'अम्बेडकर विशेषांक' में कही थी कि 'यदि देश में अस्पृश्यों की समस्याओं का समाधान हो गया होता तो मैं अपने जीवन का पूरा समय विद्या अध्ययन में ही लगाता।''

यह ध्यान देने की बात है कि विगत सत्तर साल में अम्बेडकर की जयंतियां, ड्राइंगरूम में उनकी तस्वीरें और गली–मोहल्लों के नाम अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो प्रवृत्ति देखने को मिली वह अधिकांश दलितों में ही मिली। इसको और अधिक स्पष्ट किया जाए तो महाराष्ट्र में महारों में और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रदेशों में चमारों ने ही अधिक की। लेकिन चुनावों के दिनों में तो सभी दलों और गैरदलितों के भी प्रिय नेता हो जाते हैं। डॉ. अम्बेडकर का स्मरण कमजोर और अति पिछड़े समाजों में विद्या विस्तार पर और लग जाएं। परन्तु उनके सामाजिक सरोकारों को यदि पीछे किया जाता है, विशेषकर विद्या विस्तार को रोका जाता है तो यह तो 'बाबा पै करम, दलितों पै सितम' वाली बात होगी। क्योंकि उन विद्यार्थी को याद करते हुए अगर 'विद्या–व्यवस्था' में सुधार नहीं किया जाना है और उसका व्यवसायीकरण कर अकल्याण की नीति को बढ़ावा देकर कमजोर वर्गों को अज्ञान और अशिक्षा के अंधेरे में धकेलना यह अम्बेडकर जैसे विद्यार्थी का सम्मान नहीं अपितु उनका मजाक उड़ाना ही है। 'विद्या–विस्तार' के मार्ग में आने वाली बाधाओं को केवल लच्छेदार बातों से हटा पाना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए ठोस कार्ययोजनाएं और कल्याणकारी नीतियों को अमल में लाने की आवश्यकता होगी। विद्या–विस्तार पर सरकारी निवेश बढ़ाना, बजट कटौती कम करना और जनसामान्य में प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन और स्वामित्व में कमजोर वर्गों की आनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित कर 'विद्या–विस्तार' कर देश को अमेरिका, चीन और जापान के मुकाबले में खड़ा किया जाए ताकि देश की ज्ञान व्यवस्था आत्मनिर्भर हो सके। विदेशों से तकनीक आयात करने में जो देश के खजाने पर भार पड़ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके।

*** जब गरूड़ उड़ता है** तो ऊंची उड़ान भरते समय उसे हवा के विरोध का सामना करते हुए ऊपर उड़ना पड़ता है। वह हवा के रूख की मदद नहीं लेता। अस्पृश्यों को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए ऊपर उठना है, उन्नत होना है।

*** दलित युवाओं** को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐशो–आराम में न पड़कर समाज नेतृत्व करें। तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्चीसेवा करें।

*** जो कुछ मैंने किया है** वह बहुत सी मुसीबतों और कठिनाइयों के मध्य जीवन भर अपने विरोधियों से जुझते रहने के बाद किया है। बड़ी कठिनाई के साथ मैं इस कारवां को यहा तक ले आया हूं, जहां तुम उसे आज देखते हो। अनेक विपत्तियों के आने पर भी इस कारवां को आगे बढ़ाना है। यदि मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे ले जाने में सफल न हो पायें तो उसे जहां है वहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे पीछे न जाने दें। मेरे लोगों को यहीं मेरा सन्देश है।

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009